

**फर्द अहकाम**

जापोश बनाम श्रीचन्द कोठे

नाम न्यायालय - 500

केस संख्या 95/2022

प्राथमिक पत्र 212 R.T. Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
21-10-22		उपरिष्ठाता मै रजिस्ट्रार को अन्व कार्यवाही के तहत फर्द जारी दिनांक: 21-10-22 को पत्र हो।
7/11/22		इच्छिवक्ता अभ पक्ष आरिज इच्छिवक्ता वकील ने वाद में पैदी नही काली चाही वहा नर्भत - पत्र में पैदी नही बली चाही। इस हककध में पक्षकार को कोर्ट हसन जाती हो मर रिकॉर्ड 13/11/22 में पेश हो।
12/11/22		पत्रावली आज 16 डीम लोक अदालत में मूल वाद के हक आज पत्र हुश्री इच्छिवक्ता वादी ने वाद में अकाले वला मि लोक अदालत में गवेन ले प्रोटेन होवा पक्षकार व मध्य एजीनर हो गज हो। अतः वाद को आगे नही चलाना चाहते हैं वहा मूल वाद में इच्छिवक्ता वादी ने Not Press

उपरिष्ठाता अधिकारी  
श्री. सुवर्णा (जयपुर)

**फर्द अहकाम**

जापोश बनाम श्रीचन्द कोठे

नाम न्यायालय - 500

केस संख्या 95/2022

प्राथमिक पत्र 212 R.T. Act

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अधिकार किता है अतः इच्छिवक्ता पक्ष वाद लाने किता न चुका है चूंकि प्राथमिक पत्र 212 R.T. अक्ट वाद का भाग होला है। इच्छिवक्ता अतः प्राथमिक - पत्र को चलाने जाने का कोई इच्छिवक्ता नही है अतः प्राथमिक व प्राथमिक - पत्र रवाजि किता जाता है। पत्रावली निहित शुका होवा - दर्ज नही है कर हो।	
		उपरिष्ठाता अधिकारी श्री. सुवर्णा (जयपुर)

